

सीएम सहायता कोष में योगदान देने वाले राजनीतिक पार्टी के प्रकटीकरण पर पाबंदी



मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना के संबंध में मुख्यमंत्री सहायता कोष से भारी वित्तीय मदद की अपील करते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी इस अपील पर आगे आकर मदद करते हैं या नहीं करते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर, मुख्यमंत्री सहायता कोष राजनीतिक पार्टी के योगदान के बारे में जानकारी देने के लिए उत्सुक नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुख्यमंत्री सहायता कोष सेल द्वारा सूचित किया गया है कि उसे ऐसी जानकारी देने से मना किया गया है क्योंकि यह जानकारी व्यक्तिगत विवरण और आगंतुक किसी तीसरे पक्ष के निजी मामलों में हस्तक्षेप करेगा।

15 मई, 2020 को आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कोविड के तहत राजनीतिक पार्टी के योगदान के बारे में जानकारी के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से संपर्क किया था। सार्वजनिक सूचना अधिकारी मिलिंद कबाड़ी ने कहा कि ऐसी जानकारी देना मना है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विवरण शामिल हैं। इससे आगंतुक तीसरे पक्ष के निजी मामलों में हस्तक्षेप करेगा। यह जानकारी संकलित नहीं है और कार्यालय की साधन सामग्री को इस उद्देश्य के लिए मोड़ना होगा। इस प्रकार का लेन-देन दैनिक आधार पर सीएम सहायता कोष में होता है और विवरण से यूटीआर नंबर स्तर पर जानकारी मिलती है, इसलिए दानदाताओं के नाम का पता लगाना संभव नहीं है। अनिल गलगली द्वारा 1 जून, 2020 को दायर पहली अपील को 9 नवंबर, 2020 को सुनवाई रखी गई थी। प्रथम अपीलीय अधिकारी और सहायक निदेशक सुभाष नागाप ने कोई सांत्वना नहीं दी।

अनिल गलगली के अनुसार, कोविड के तहत राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रदान की गई जानकारी ना प्रधानमंत्री केयर फंड ना मुख्यमंत्री सहायता कोष द्वारा प्रदान नहीं की जाती है। जब राजनीतिक पार्टी की जानकारी त्रयस्थ पक्ष की है तो मुख्यमंत्री सचिवालय ने संबंधित राजनीतिक पार्टी को पत्र भेजकर उनकी सहमती लेने की जहमत नहीं उठाई। अनिल गलगली ने अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मांग की है कि संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाए।